

## आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 17 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 998(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, दमण और दीव तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. प्रशासक,                        | अध्यक्ष    |
| दमण, द्वीप, दादरा और नागर हवेली,   |            |
| सचिवालय, मोती दमण।                 |            |
| 2. चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर,   | सदस्य      |
| टाउन कन्ट्री प्लानिंग विभाग,       |            |
| मोती दमण।                          |            |
| 3. मुख्य वन संरक्षक,               | सदस्य      |
| मोती दमण।                          |            |
| 4. डॉ. शैलेस नायक,                 | सदस्य      |
| स्पेस अप्लिकेशन सेंटर,             |            |
| अहमदाबाद।                          |            |
| 5. विभागाध्यक्ष,                   | सदस्य      |
| पर्यावरणीय इंजिनियरिंग,            |            |
| प्रादेशिक इंजिनियरिंग महाविद्यालय, |            |
| सूरत।                              |            |
| 6. कलेक्टर,                        | सदस्य      |
| दमण।                               |            |
| 7. कलेक्टर,                        | सदस्य      |
| दीव।                               |            |
| 8. सदस्य सचिव,                     | सदस्य-सचिव |
| प्रदूषण नियंत्रण समिति,            |            |
| मोती दमण।                          |            |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीज़ैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

- (iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन

मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो दमण और द्वीप के अनुमोदित तटीय जौन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[ फा. सं. 17011/18/96-आईए-3 ]

डा. जी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

### ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

**S.O. 17 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 998 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Administrator,<br>Daman and Diu,<br>Dadra and Nagar Havali,<br>Secretariat, Moti Daman. | Chairman |
| 2. Chief Town and Country Planner,<br>Town Country Planning Department,<br>Moti Daman.     | Member   |
| 3. Chief Conservator of Forests,<br>Moti Daman.  | Member   |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 4. Dr. Shailesh Nayak,<br>Space Application Centre,<br>Ahmedabad.                               | Member           |
| 5. Head of Department,<br>Environmental Engineering,<br>Regional Engineering College,<br>Surat. | Member           |
| 6. Collector,<br>Daman.   | Member           |
| 7. Collector<br>Diu.  | Member           |
| 8. Member Secretary,<br>Pollution Control Committee,<br>Moti Daman.                             | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the Union Territory (U.T.) of Daman and Diu, namely:—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Daman and Diu Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.